

प्रेषक,
निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1- निदेशक,
उच्च शिक्षा, सरोजनी नायडू मार्ग,
सिविल लाइन, प्रयागराज। | 2- निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, विकास नगर,
इंदिरा रोड, कानपुर नगर। |
| 3- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा,
जवाहर भवन, लखनऊ। | 4- निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लखनऊ। |
| 5- निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
प्रयागराज। | 6- सचिव,
स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
5, सर्वपल्ली माल एवेन्यू रोड,
लखनऊ। |
| 7- निदेशक,
कृषि प्रसार शिक्षा विभाग,
कृषि भवन, लखनऊ। | 8- निदेशक,
आयुष विभाग, नबीउल्लाह रोड,
नियर सिटी स्टेशन, लखनऊ। |
| 9- सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
बांसमण्डी चौराहा, ए-1 गोविन्द रोड,
चारबाग, लखनऊ। | 10- निदेशक,
दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण,
लखनऊ। |
| 11- निदेशक,
संस्कृति विभाग, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ। | 12- सचिव,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद,
लखनऊ/प्रयागराज। |
| 13- सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज। | |

संख्या- ८-५१ /स०क०/शिक्षा-अ/३/४०३/२०२२-२३

लखनऊ: दिनांक: ०७ अप्रैल, २०२२

विषय:-वित्तीय वर्ष २०२२-२३ से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/
छात्राओं के बायोमैट्रिक अटेण्डेंस प्रक्रिया लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप अवगत हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (दशम संशोधन) नियमावली-२०२१ दिनांक २१-०९-२०२१ को प्रख्यापित की गयी है। नियमावली के नियम-६ (xvii) में प्राविधान है कि-

“शैक्षिक सत्र में ७५ प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति आधार बेस उपस्थिति प्रणाली (भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर) को स्थापित करके प्रत्येक माह उपस्थिति प्रमाणित करने एवं यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति ७५ प्रतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथा छात्र को यदि भुगतान हो गया है तो भुगतानित धनराशि छात्र अथवा संस्था को वापस करनी होगी।”

2- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 से नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश में संचालित एवं छात्रवृत्ति हेतु मास्टर डाटा में सम्मिलित समस्त राजकीय, अनुदानित व मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेशित एवं अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का आधार बेस उपस्थित प्रणाली (बायोमैट्रिक अटेण्डेंस) की व्यवस्था करायी जानी है। इस हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान में छात्रों के बायोमैट्रिक अटेण्डेंस हेतु उपकरण लगाया जाना है। प्रत्येक संस्थान स्तर पर छात्रों के पाठ्यक्रमवार अटेण्डेंस को राज्य स्तर पर एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ व श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ के स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

3- विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य गणना हेतु बायोमैट्रिक मशीन लगाये जाने का अनुरोध निदेशालय के विभिन्न पत्रों द्वारा आपसे किया गया था। तत्कम में आपके स्तर से वांछित कार्यवाही करायी गयी होगी।

अतः उक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में अपने अधीन समस्त विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों में छात्र/छात्राओं के बायोमैट्रिक अटेण्डेंस हेतु आवश्यक उपकरण 15 दिन के अन्दर लगवाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राकेश कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, बेसिक शिक्षा, आयुष, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जनजाति विकास विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ।
- 7- कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

- 8- कुल सचिव, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ व वाराणसी।
- 9- कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, लखनऊ, प्रयागराज, बलिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, आगरा, मेरठ झांसी, बरेली, अयोध्या, कानपुर नगर, जौनपुर, उ०प्र०।
- 10- कुल सचिव, अटल बिहारी बाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 11- कुल सचिव, किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 12- निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
- 13- कुल सचिव, डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 14- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल के समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों के साथ सम्बन्धित संस्थाओं की बैठक कराकर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 15- समाज जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के सम्बन्धित विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थाओं/एफिलियेटिंग एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक बैठक कराकर बैठक की कार्यवृत्त दिनांक 25-04-2022 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार)
निदेशक

A.P.

07/4/2022